**बिहार सरकार**
**खेल विभाग**
**—:: सूचना ::—**

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या—10000 दिनांक—10.07.2015 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में खेल विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना में लेखा पदाधिकारी के रिक्त पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सेवानिवृत लेखा पदाधिकारी (लेवल—6) से संलग्न आवेदन पत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र तथा संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता एवं सामान्य निर्देश विभाग के वेबसाइट—https://state.bihar.gov.in/sport/CitizenHome.html पर देखा जा सकता है। ऑफलाईन आवेदन निबंधित डाक से संयुक्त सचिव, खेल विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना—800015 में या हाथों—हाथ विभाग के कमरा संख्या—324 में दिनांक—06.01.25 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

**2. संविदा आधारित लेखा पदाधिकारी हेतु आरक्षणवार रिक्त पद की संख्या निम्नवत् हैः—**

| क्र. | पद का नाम | अनारक्षित | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | पिछड़ा वर्ग | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | अनु. जाति | अनु. जन जाति | पिछड़े वर्ग की महिला | कुल पदों की संख्या | स्वतंत्रात सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या | दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद | | | | | | | | | |
| 1 | लेखा पदाधिकारी | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | VI-0<br>DD-0<br>OH-0<br>MD-0 |
| | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | |
| | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | |
| | | | | | | | | कुल पद = | 01 | | |

**3. नियोजन हेतु आवश्यक शर्त्ते एवं योग्यताएँः—**

(i) आवेदक बिहार सरकार के अंतर्गत लेखा पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो।

(ii) सेवानिवृत्त लेखा पदाधिकारी का संविदा आधारित नियोजन के लिए उम्र सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या—10000 दिनांक—10.07.2015 के उपबंधों से आच्छादित होगी।

(iii) चयन मात्र एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। अर्थात् दिनांक—01.07.2024 को आवेदक का उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं हो।

**4. संविदा नियोजन की शर्त्ते :—**

(i) किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरूद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(ii) एक विभाग/जिला से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अन्य विभाग/जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जायेंगे।

(iii) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक

आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत सरकारी सेवकों का संविदा–विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवानिवृति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन नहीं होने पर उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

(iv) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

**5. आवदेन की प्रक्रियाः–**

(i) संपूर्ण चयन प्रक्रिया का प्रबंधन खेल विभाग द्वारा किया जायेगा।

6. आवेदन समर्पित करने के उपरान्त इसमें त्रुटि सुधार, भूल सुधार और किसी अन्य संशोधन हेतु कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा और न ही इसका अवसर दिया जायेगा। आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जायेगी।

7. संविदा नियोजन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे।

8. आवेदक अपने सेवानिवृति पूर्व के कार्यालय प्रधान द्वारा प्रदत्त निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन समर्पित करेंगे कि उनके विरूद्ध (i) कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है। (ii) कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है। (iii) कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नहीं है एवं (iv) सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहद दण्ड अथवा अन्तिम 05 वर्ष में कोई दण्ड (लघु/वृहद) अथवा बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधानों के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित न हो।

9. आवदेक आवदेन समर्पित करने के पश्चात इसकी मुद्रित प्रति, संलग्न सभी प्रमाण पत्र, सेवापुस्त, पेंशन भुगतान आदेश (P-P-O) आदि की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कॉउसेलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

10. कॉउसलिंग हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11. आवेदन पत्र दिनांक–06.01.25 अपराहन 5 बजे तक विभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त हाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी आवेदन पत्र की स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नियोजन प्राधिकार को होगा। मात्र आवेदन के आधार पर आवेदक का नियोजन के संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

20/12/24

**(निरंजन कुमार)**

संयुक्त सचिव।

# संविदा नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

| आवेदक का अद्यतन स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो |
|---|

1. आवेदित पद का नाम :– ..............................................
2. आवेदक का नाम :– ....................................................
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :– .......................................................................
4. स्थायी पता (पिन कोड सहित) ...........................................................................................
5. वर्त्तमान पता (पिन कोड सहित) :–.........................................................................
6. आवेदक का जन्म तिथि एवं सेवानिवृति की तिथि :– ...........................................
7. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को उम्र :– वर्ष– माह– दिन–
8. शैक्षणिक योग्यता :– ........................................
9. क्या अभ्यर्थी आरक्षण की श्रेणी में आता है? :–...................................................
   यदि हाँ तो कोटि (जाति प्रमाण पत्र/क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. विभाग/कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत :– ...................................................हुए हैं।
11. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम :– ..........................................................................................
12. आवेदक का अंतिम मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता :– ..........................................................................................
    ..............की राशि
13. सेवानिवृत्ति के समय पेंशन एवं महंगाई भत्ता :– ..........................................................................................
    की राशि (पी0पी0ओ0 की छायाप्रति संलग्न करें)
14. अद्यतन चिकित्सा प्रमाण पत्र (सिविल सर्जन द्वारा निर्गत) :– ..........................................................
15. जिस पद के आवेदक हैं, उस पद पर संविदा :– ..........................................................................................
    नियोजन (यदि हो तो) सहित विगत कार्यानुभव
16. मोबाईल संख्या (वाट्सऐप सहित) :– ..........................................................................................
17. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक :–..........................................................................................
    वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित न हो (यदि हो तो विवरण)
18. सेवाकाल में/सेवानिवृत्ति के पश्चात् दण्ड की स्थिति
    (i) सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहत दण्ड (यदि हाँ तो विवरण)
    (ii) सेवाकाल के अंतिम 05 वर्षों में कोई लघु दण्ड (यदि हाँ तो विवरण)
    (iii) पेंशन नियमावली के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड (यदि हाँ तो विवरण)

**(आवेदक का हस्ताक्षर एवं तिथि)**